कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक– प.7(431)एसएचए/पीपीपी/2019–20/डी– 504 जयपुर, दिनांक: 29/7/21

सार एवं घोषणा संबधी अधिसूचना जारी किये जाने में हुए विलम्ब की अवधि बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा लिये निर्णय की सूचना।

यह कि राज्य सरकार द्वारा अराई–सरवाड़ एस.एच.7ई को विकसित करने हेतु भूमि अर्जन का विनिश्चय लेकर समसंख्यक पत्र दिनांक 31.05.19 से जिला कलक्टर अजमेर को सूचित किया गया। भूमे अवाप्ति उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ द्वारा दिनांक 14.01.2020 को प्रारम्भिक अधिसूचना जारी की गई।

अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत जारी घोषणा एवं सार सम्बन्धी अधिसूचना का प्रकाशन किये जाने से पूर्व शासन सचिव महोदय से अनुमोदन उपरान्त प्रकाशन किये जाने का प्रावधान है। उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ द्वारा धारा–19 के अन्तर्गत जारी घोषणा दिनांक 28.06.2021 में भूमि क्षेत्रफल 2.2610 है0 है। जो धारा 11 अन्तर्गत जारी अधिसूचना में दर्शित क्षेत्रफल के बराबर है। अतः घोषणा एवं सार सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 28.06.2021 को राजपत्र में प्रकाशन से पूर्व शासन सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) निम्नवत है:–

(7) Where no declaration is made under sub-section (1) whthin twelve months from the date of preliminary notification, then such notification shall be deemed to have been rescinded.

इस प्रकार धारा 19 (1) अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन सम्बन्धी घोषणा प्रारम्भिक अधिसूचना की 12 मास की अवधि में किया जाना चाहिये अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह (प्रारम्भिक अधिसूचना) विखण्ड़ित कर दी गई है। धारा 19 (7) के द्वितीय परन्तुक में राज्य सरकार को बारह मास की अवधि बढाने की शक्ति विद्यमान है जहॉ उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जो हुए विलम्ब को न्यायोचित ठहराती है। धारा 19 (7) का द्वितीय परन्तुक निम्नवत है:–

Provided further that the appropriate Government shall have the power to extend the period of twelve months, if in its opinion circumstances exist justifying the same.

उपखण्ड अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी सरवाड़ के पत्र दिनांक 04.06.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि अराई–सरवाड़ सड़क परियोजना हेतु तहसील सरवाड़ के विभिन्न ग्रामों में भूमि अवाप्ति हेतु प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19.02.2020 को हुआ, धारा 19 की कार्यवाही एक वर्ष के अन्तराल में पूरी की जाना था किन्तु कोविड महामारी के कारण मार्च 2020 से लागू किया लॉकडाउन, नगर निकाय एवं पंचायत पुर्नगठन एवं पुर्नसीमांकन एवं निर्वाचन सम्बन्धी कार्य से सयम पर भूमि अवाप्ति सम्बन्धी कार्य पूर्ण नहीं हो सका अतः उपरोक्त परिस्थिति के दृष्टिगत 1 वर्ष की समयावधि सीमा बढ़ाने का अनुरोध करते

हुए धारा 19 (1) अन्तर्गत सार एवं घोषणा सम्बन्धित अधिसूचना जारी करने का निवेदन किया गया

उपरोक्त से विदित है कि प्रारम्भिक अधिसूचना उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 14.01.2020 को जारी कर दी गई। किन्तु राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 19.02.2020 को हुआ। अवधि की गणना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से की जाने की स्थिति में एक वर्ष की अवधि दिनांक 18.02.2021 को पुरी हुई। इस प्रकार सार सम्बन्धी घोषणा जारी किये जाने में लगभग 4 माह से अधिक का विलम्ब हुआ है। विलम्ब के कारण में मार्च 2020 से लागू किया लॉकडाउन, नगर निकाय एवं पंचायत पुर्नगठन एवं पुर्नसीमांकन एवं निर्वाचन सम्बन्धी कार्य एवं अन्य प्रशासनिक दायित्वों के कारण भूमि अवाप्ति अधिकारी धारा 19 की सार एवं घोषणा सम्बन्धि अधिसूचना जारी करने में विलम्ब हुआ।

उपरोक्तानुसार प्रकरण में हुए विलम्ब के कारण 12 माह अवधि को बढ़ाये जाने हेतु राज्य सरकार सक्षम है अतः धारा 19 (7) के द्वितीय परन्तुक की शक्ति के प्रयोग में घोषणा एवं सार संबंधी अधिसूचना जारी करने की अवधि 6 माह के लिये बढाया गया है।

उपरोक्त निर्णय की स्वीकृति राजस्थान सरकार के सक्षम स्तर से राजकाज संख्या प्रमुख शासन सचिव (सा.नि.वि.)/00812 दिनांक 08.07.2021 के अनुसरण में जारी की जाती है।

(बी.के सिंह)
o/c अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,
सा.नि.वि., पीपीपी, जयपुर

प्रतिलिपीः–

1. जिला कलक्टर अजमेर।
2. एस.डी.ओ. एवं भूमि अवाप्ति अधिकरी, सरवाड़।
3. परियोजना निदेशक, पीपीपी, अजमेर।
4. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।

o/c अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,
सा.नि.वि., पीपीपी, जयपुर